

31-8-19  
one page

28/8/19

54

29 AUG 2019

PJRRY  
we

Request 139

29/8/19

Reg. No. 342  
File No. IV/2988  
Serial No. 137

उत्तर प्रदेश शासन  
विधायी अनुभाग-1

संख्या-1540/79-वि-1-19-1(अधि)वि0/17  
लखनऊ:दिनांक: 20 अगस्त, 2019

3.9.19  
Bijoy  
11.9.19

कार्यालय - ज्ञाप

श्री अरविन्द कुमार मिश्रा-II, विशेष सचिव, विधायी विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्टी आयोग) की संस्तुतियों के आधार पर निर्गत नियुक्ति अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-6058/दो-4-05-45(12)/91टीसी, दिनांक 27 जनवरी, 2006 में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र एवं विवरण के आधार पर निजी वाहन संख्या-डी0एल0 सीजे-3041 हेतु माह जुलाई, 2019 में भराये गये 75 लीटर पेट्रोल रू0 72.54 प्रति लीटर की दर से व्यय की गयी कुल धनराशि रू0 5,440/- (रूपये पाँच हजार चार सौ चालीस मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 के लेखाशीर्षक "2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय-15-पेट्रोल/अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

जे0पी0 सिंह-II,  
प्रमुख सचिव।

संख्या-1540(1)/79-वि-1-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ (न्याय अनुभाग-8 लेखा प्रकोष्ठ) के माध्यम से।
- 3- अनुभाग अधिकारी, न्याय अनुभाग-8 (लेखा) को एक अतिरिक्त प्रति एवं सम्बंधित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र एवं पेट्रोल पर व्यय की गयी धनराशि के विवरण सहित इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त धनराशि का भुगतान सम्बंधित अधिकारी को करना सुनिश्चित करें।
- 4- रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- सम्बन्धित अधिकारी।
- 6- सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7- गार्ड पत्रावली।

① DAC(RR) Admin  
So Admin H/A  
Rf  
31/8/2019  
JR

आज्ञा से,

(गिरिजा पति द्विवेदी)  
अनु सचिव।

JR(V)(B)

JR  
29/8/19

DRUM

JR(V)(B)  
30/8/19

Ms. Prati  
12.09.19

Mr. Roy (Admin-1)

Serials numbered as 129, 130,  
131, 132, 133, 134, 135, 136  
and 137 are only for info-  
-matives. May file

W. B. Bond

12/09/19  
R.O.

Gendry  
13.09.19  
A.R.

File.  
Receivable  
17.09.19  
J.A. (Admin 1)

Request 139

20.7.19

②

①

20-7-19  
W.O. Encl

o  
To M.

उत्तर प्रदेश शासन  
विधायी अनुभाग-1  
संख्या-1268/79-वि-1-19-1(अधि0)वि0/17  
लखनऊ:दिनांक: 10 जुलाई, 2019

Reg No ..... 291  
File No ..... 2988  
Serial No ..... 136

24.7.19  
23.7.19  
Binu  
11.9.19

कार्यालय - ज्ञाप

श्री अरविन्द कुमार मिश्रा-II, विशेष सचिव, विधायी विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्टी आयोग) की संस्तुतियों के आधार पर निर्गत नियुक्ति अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-6058/दो-4-05-45(12)/91टीसी, दिनांक 27 जनवरी, 2006 में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र एवं विवरण के आधार पर निजी वाहन संख्या-डी0एल0 सीजे-3041 हेतु माह जून, 2019 में भराये गये 75 लीटर पेट्रोल रू0 70.11 प्रति लीटर की दर से व्यय की गयी कुल धनराशि रू0 5,258/- (रूपये पाँच हजार दो सौ अठावन मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 के लेखाशीर्षक "2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय-15-पेट्रोल/अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

①

PS/25  
c/c

17 JUL 2019

संजय खरे,  
प्रमुख सचिव।

संख्या-1268(1)/79-वि-1-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ (न्याय अनुभाग-8 लेखा प्रकोष्ठ) के माध्यम से।
- 3- अनुभाग अधिकारी, न्याय अनुभाग-8 (लेखा) को एक अतिरिक्त प्रति एवं सम्बंधित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र एवं पेट्रोल पर व्यय की गयी धनराशि के विवरण सहित इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त धनराशि का भुगतान सम्बंधित अधिकारी को करना सुनिश्चित करें।
- 4- रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- सम्बन्धित अधिकारी।
- 6- सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(गिरिजा पति द्विवेदी)  
अनु सचिव।

①

DR (R) Admin  
SO Admin H/A  
R/R  
20/7/2019  
JA

JR(J)(B)

JR  
RG  
18/7/19

DRUM

JR(J)(B)  
19/7/19

Ms. Pruthi  
12.09.19

Request 139

17-6-19  
CO-0 Encl

(1)

उत्तर प्रदेश शासन  
विधायी अनुभाग-1

संख्या-836/79-वि-1-19-1(अधि0)वि0/170

लखनऊ: दिनांक: 17 मई, 2019

कार्यालय - ज्ञाप

26.6.19  
215  
29.88  
134  
11.9.19  
13-19

श्री अरविन्द कुमार मिश्रा-II, विशेष सचिव, विधायी विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्टी आयोग) की संस्तुतियों के आधार पर निर्गत नियुक्ति अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-6058/दो-4-05-45(12)/91टीसी, दिनांक 27 जनवरी, 2006 में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र एवं विवरण के आधार पर निजी वाहन संख्या-डी0एल0 सीजे-3041 हेतु माह अप्रैल, 2019 में भराये गये 75 लीटर पेट्रोल, रू0 72.06 प्रति लीटर की दर से व्यय की गयी कुल धनराशि रू0 5,404/- (रूपये पाँच हजार चार सौ चार मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 के लेखाशीर्षक "2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय-15-पेट्रोल/अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

संजय खरे,  
प्रमुख सचिव।

संख्या-836(1)/79-वि-1-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ (न्याय अनुभाग-8 लेखा प्रकोष्ठ) के माध्यम से।
- 3- अनुभाग अधिकारी, न्याय अनुभाग-8 (लेखा) को एक अतिरिक्त प्रति एवं सम्बंधित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र एवं पेट्रोल पर व्यय की गयी धनराशि के विवरण सहित इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त धनराशि का भुगतान सम्बंधित अधिकारी को करना सुनिश्चित करें।
- 4- रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- सम्बन्धित अधिकारी।
- 6- सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7- गार्ड फत्रावली।

290  
13.7.19  
CO-0

12 JUN 2019

J.R. (A) (B)

आज्ञा से,

(गिरिजा पति द्विवेदी)

अनु सचिव।

DRUM

McR.G.  
13106119

DR(RR) Admin

SO Admin, A1

SIC  
DR.  
17.6.2019

J.R. (A) (B)  
17/6/19

Ms. Pantli  
12.09.19

R.B  
6-5-19

Request 139

Reg. No ..... 202  
File No. 2988  
Serial No. 133

3-6-19  
1-6-19

BIND  
11-9-19

उत्तर प्रदेश शासन  
विधायी अनुभाग-1  
संख्या-694/79-वि-1-19-1(अधि0)वि0/17  
लखनऊ:दिनांक: 18 अप्रैल, 2019

कार्यालय - ज्ञाप

श्री अरविन्द कुमार मिश्रा-II, विशेष सचिव, विधायी विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्टी आयोग) की संस्तुतियों के आधार पर निर्गत नियुक्ति अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-6058/दो-4-05-45(12)/91टीसी, दिनांक 27 जनवरी, 2006 में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र एवं विवरण के आधार पर निजी वाहन संख्या-डी0एल0 सीजे-3041 हेतु माह मार्च, 2019 में भराये गये 40 लीटर पेट्रोल रू0 74.38 प्रति लीटर की दर से रू0 2975/- तथा 35 लीटर पेट्रोल रू0 71.97 प्रति लीटर की दर से रू0 2518/- अर्थात् कुल 75 लीटर पेट्रोल पर व्यय की गयी धनराशि रू0 5,493/- (रूपये पाँच हजार चार सौ तिरानवे मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 के लेखाशीर्षक "2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय-15-पेट्रोल/अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

संजय खरे,  
प्रमुख सचिव।

संख्या-694(1)/79-वि-1-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ (न्याय अनुभाग-8 लेखा प्रकोष्ठ) के माध्यम से।
- 3- अनुभाग अधिकारी, न्याय अनुभाग-8 (लेखा) को एक अतिरिक्त प्रति एवं सम्बंधित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र एवं पेट्रोल पर व्यय की गयी धनराशि के विवरण सहित इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त धनराशि का भुगतान सम्बंधित अधिकारी को करना सुनिश्चित करें।
- 4- रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- सम्बंधित अधिकारी।
- 6- सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7- गार्ड पत्रावली।

DR(M)

JF. Regd(J)CB  
30.4.19

DR(RR) Admin

SO Admin, A/A

RH  
29/5/2019  
JR

आज्ञा से,

(गिरिजा पति द्विवेदी)

अनु सचिव।

Ms. Banti

12.09.19

S2

J.R.J/Buyer  
27 MAY 2019

57

25

DR(M)

129 APR 2019 6 21

2  
29-5-19  
00 Encl  
23.4.19

R.B  
2.5.19 Request 139

उत्तर प्रदेश शासन  
विधायी अनुभाग-1  
संख्या-681/79-वि-1-19-1(अधि)वि0/17  
लखनऊ: दिनांक: 11 अप्रैल, 2019

31.5.19  
File No. 200  
IV/2988  
132  
3.6.19  
1.6.19

कार्यालय - ज्ञाप

विधायी अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-571/79-वि-1-19-1(अधि)वि0/17, दिनांक 19 फरवरी, 2019 को निरस्त करते हुए श्री अरविन्द कुमार मिश्रा-II, विशेष सचिव, विधायी विभाग को अपने निजी वाहन संख्या-डी0एल0 सीजे-3041 में माह फरवरी, 2019 में भराये गये 75 लीटर पेट्रोल पर व्यय की गयी धनराशि रू0 5458/- (रूपये पाँच हजार चार सौ अठावन मात्र), की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 के लेखाशीर्षक "2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय-15- पेट्रोल/अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

संजय खरे,  
प्रमुख सचिव।

संख्या-681(1)/79-वि-1-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ(न्याय अनुभाग-8 लेखा प्रकोष्ठ) के माध्यम से।
- 3- अनुभाग अधिकारी, न्याय अनुभाग-8 (लेखा) को एक अतिरिक्त प्रति एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र एवं पेट्रोल पर व्यय की गयी धनराशि के विवरण सहित इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त धनराशि का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी को करना सुनिश्चित करें।
- 4- रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- सम्बन्धित अधिकारी।
- 6- सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7- गार्ड पत्रावली।

51  
JK J/Budget  
2019  
200

56

25  
Deputy  
Secy

29 APR 2019

DR(M)

H. Roy (B)  
30.4.19

DR(RR)Adm  
SO Adm, H/A

RP  
29/5/2019

आज्ञा से,  
जो

(गिरिजा पति द्विवेदी)  
अनु सचिव।

Ms. Prmti  
12.09.19

27  
24-5-19  
w/o Encl

Request 139

25.5.19

18-19  
482, No  
File No 279988  
Serial No 131

उत्तर प्रदेश शासन  
विधायी अनुभाग-1

28.5.19 29.5.19

संख्या-767/79-वि-1-19-24(अधि)वि0/2014

11.9.19

लखनऊ: दिनांक 3 मई, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

विधायी सचिव शाखा के निम्नलिखित अधिकारी को सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग-8 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1630/20-8-वि-13-टी-26(36)/2010, दिनांक 23 मई, 2013 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-2128/20-8-वि-14-टी-26(36)/2010, दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 में की गयी व्यवस्थानुसार मोबाइल, दूरभाष (ब्राडबैंड सहित) द्वारा शासकीय कार्यहित में व्यय की गयी धनराशि के सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रस्तुत बिल एवं स्वप्रमाण पत्र में उल्लिखित व्यय विवरण के आधार पर नीचे अंकित सारिणी में उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार कुल रू0 6,431/- (रूपये छः हजार चार सौ इकतीस मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0	नाम/पदनाम	मोबाइल नं0/लैण्डलाइन (ब्राडबैंड सहित)	अवधि	व्यय की गयी धनराशि (रूपये में)	प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6
1	श्री- अरविन्द कुमार मिश्रा-II, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी।	0522-44459028	माह सितम्बर, 2018	825.00	825.00
			अक्टूबर, 2018	707.00	707.00
			नवम्बर, 2018	707.00	707.00
			दिसम्बर, 2018	775.00	775.00
			जनवरी, 2019	825.00	825.00
			फरवरी, 2019	1767.00	1767.00
			अप्रैल, 2019	825.00	825.00
			कुल योग	रू0 6,431.00	

(रूपये छः हजार चार सौ इकतीस मात्र)

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-78 के लेखा शीर्षक "2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय-13 टेलीफोन पर व्यय" के नामे डाला जायेगा।

JR(J)(CB)

संजय खर,  
प्रमुख सचिव।

DR(M)

DR(RR)Admin

.....2-

Jh  
RG  
21/5/19

SO Admin, H/A

RA  
21/5/19

Ms. Pranti  
12.09.19


Jh.Rg(J)(CB)  
21/5/19

संख्या-767(1)/79-वि-1-2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- अनुभाग अधिकारी, न्याय अनुभाग-8 (लेखा प्रकोष्ठ) को एक अतिरिक्त प्रति तथा मूल बिल बाउचर सहित।
- 4- महा निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग।
- 6- सम्बन्धित अधिकारी।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(गिरिजा पति द्विवेदी)

e- अनु सचिव।



5-7-19  
W.O. Encl

Request 139

h. 19

Reg. No 252

File No 2968

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या-1114/79-वि-1-19-1(अधि0)वि0/17

लखनऊ:दिनांक: 18 जून, 2019

कार्यालय - ज्ञाप

11-7-19 12-7-19

Binu  
11-9-19

श्री अरविन्द कुमार मिश्रा-II, विशेष सचिव, विधायी विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्यूलि आयोग) की संस्तुतियों के आधार पर निर्गत नियुक्ति अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-6058/दो-4-05-45(12)/91टीसी, दिनांक 27 जनवरी, 2006 में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र एवं विवरण के आधार पर निजी वाहन संख्या-डी0एल0 सीजे-3041 हेतु माह मई, 2019 में भराये गये 75 लीटर पेट्रोल रू0 70.78 प्रति लीटर की दर से व्यय की गयी कुल धनराशि रू0 5,308/- (रूपये पाँच हजार तीन सौ आठ मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 के लेखाशीर्षक "2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय-15-पेट्रोल/अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

संजय खरे,  
प्रमुख सचिव।

संख्या-1114(1)/79-वि-1-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ (न्याय अनुभाग-8 लेखा प्रकोष्ठ) के माध्यम से।
- 3- अनुभाग अधिकारी, न्याय अनुभाग-8 (लेखा) को एक अतिरिक्त प्रति एवं सम्बंधित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र एवं पेट्रोल पर व्यय की गयी धनराशि के विवरण सहित इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त धनराशि का भुगतान सम्बंधित अधिकारी को करना सुनिश्चित करें।
- 4- रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- सम्बन्धित अधिकारी।
- 6- सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7- गार्ड फत्रावली।

आज्ञा से

(गिरिजा पति द्विवेदी)  
अनु सचिव।

DR(M)

DR(M)  
3/9/19

DR(RR) Adm

SO Adm, H/A

Rd  
5/7/2019  
DR

Ms. Pruthi  
12-09-19

16/03/19

Request 139

0  
6.3.19

उत्तर प्रदेश शासन  
विधायी अनुभाग-1

Reg. No. 133 -  
File No. 12/2988  
Serial No. 130  
Date 27.3.19 26-3-19

संख्या-405/79-वि-1-19-1(अधि0)वि0  
लखनऊ:दिनांक: 26 फरवरी, 2019

कार्यालय - ज्ञाप

श्री अरविन्द कुमार मिश्रा-II, विशेष सचिव, विधायी विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्टी आयोग) की संस्तुतियों के आधार पर निर्गत नियुक्ति अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-6058/दो-4-05-45(12)/91टीसी, दिनांक 27 जनवरी, 2006 में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र एवं विवरण के आधार पर निजी वाहन संख्या-डी0एल0 सीजे-3041 हेतु माह जनवरी 2019 में भराये गये 40 लीटर पेट्रोल रू0 73.13 प्रति लीटर की दर से रू0 2925/- तथा 35 लीटर पेट्रोल रू0 68.60 प्रति लीटर की दर से रू0 2401/- अर्थात कुल 75 लीटर पेट्रोल पर व्यय की गयी धनराशि रू0 5326/- (रूपये पाँच हजार तीन सौ छब्बीस मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 के लेखाशीर्षक "2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय-15-पेट्रोल/अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

251

3  
P.S.R. W  
7 MAR 2019

संजय खरे,  
प्रमुख सचिव

संख्या-405(1)/79-वि-1-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ (न्याय अनुभाग-8 लेखा प्रकोष्ठ) के माध्यम से।
- 3- अनुभाग अधिकारी, न्याय अनुभाग-8 (लेखा) को एक अतिरिक्त प्रति एवं सम्बंधित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र एवं पेट्रोल पर व्यय की गयी धनराशि के विवरण सहित इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त धनराशि का भुगतान सम्बंधित अधिकारी को करना सुनिश्चित करें।
- 4- रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- सम्बंधित अधिकारी।
- 6- सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7- गार्ड पत्रावली।

DRL(R)Admin  
SO Admin, M/A  
R/S  
12/3/2019  
J.A.

आज्ञा से,  
(गिरिजा पति द्विवेदी)  
अनु सचिव।

Reg(C)(CB)  
Jh  
RG  
08.03.19

DRL(M)  
7  
Reg(MS)  
11/3/19

Ms. Prati  
12.09.19

(9)

LB  
7-2-19

Request 139

1-3-19

File No  
Serial No

118  
IV/2980

उत्तर प्रदेश शासन  
विधायी अनुभाग-1

संख्या-75/79-वि-1-19-1(अधि0)वि0/17  
लखनऊ:दिनांक: 2/ जनवरी, 2019

129  
5-3-19 6-3-19

कार्यालय - ज्ञाप

Binao  
11-2-19

श्री अरविन्द कुमार मिश्रा-II, विशेष सचिव, विधायी विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) की संस्तुतियों के आधार पर निर्गत नियुक्ति अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-6058/दो-4-05-45(12)/91टीसी, दिनांक 27 जनवरी, 2006 में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र एवं विवरण के आधार पर निजी वाहन संख्या-डी0एल0 सीजे-3041 हेतु माह दिसम्बर, 2018 में भराये गये 40 लीटर पेट्रोल रू0 72.73 प्रति लीटर की दर से रू0 2909.20 तथा 35 लीटर पेट्रोल रू0 71.20 प्रति लीटर की दर से रू0 2492/- अर्थात् कुल 75 लीटर पेट्रोल पर व्यय की गयी धनराशि रू0 5401.20/- अर्थात् पूर्णांकित धनराशि रू0 5401/- (रूपये पाँच हजार चार सौ एक मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 के लेखाशीर्षक "2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय-15-पेट्रोल/अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

संजय खरे,  
प्रमुख सचिव।

संख्या-75(1)/79-वि-1-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ (न्याय अनुभाग-8 लेखा प्रकोष्ठ) के माध्यम से।
- 3- अनुभाग अधिकारी, न्याय अनुभाग-8 (लेखा) को एक अतिरिक्त प्रति एवं सम्बंधित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र एवं पेट्रोल पर व्यय की गयी धनराशि के विवरण सहित इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त धनराशि का भुगतान सम्बंधित अधिकारी को करना सुनिश्चित करें।
- 4- रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- सम्बंधित अधिकारी।
- 6- सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

DR (10)

DR (RA) Admin

SO Admin, H/A

(गिरिजा पति द्विवेदी)

अनु सचिव।

Request  
12/1/19

12/1/2019  
DR

Ms. Pruthi

12.09.19

Request 139 10.1.19

18  
No. 2988  
128  
18.1.19 17.1.19

उत्तर प्रदेश शासन  
विधायी अनुभाग-1

संख्या-2368/79-वि-1-18-1(अधि)वि0/2017  
लखनऊ: दिनांक 07 दिसम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

विधायी सचिव शाखा के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्यूलि आयोग) की संस्तुतियों के आधार पर निर्गत नियुक्ति अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-6058/दो-4-05-45(12)/91टीसी, दिनांक 27 जनवरी, 2006 में की गयी व्यवस्थानुसार अपने निजी वाहन में माह अक्टूबर, 2018 में भराये गये पेट्रोल पर व्यय की गयी धनराशि जिसका विवरण नीचे अंकित सारिणी में उल्लिखित है, की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र एवं व्यय विवरण के अनुसार कुल रू0 12,398/- (रूपये बारह हजार तीन सौ अठानवे मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0	नाम/पदनाम	वाहन संख्या	अवधि	प्रतिमाह अनुमन्य पेट्रोल की मात्रा (लीटर में)	व्यय की गयी धनराशि (रूपये में)	प्रतिपूर्ति योग्य पूर्णांकित धनराशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती कुमुद पाल, विशेष सचिव एवं अपरविधि परामर्शी।	यू0पी 32 डी0एम0 - 8456	माह अक्टूबर, 2018	75	6198.50	6199.00
2	श्री अरविन्द कुमार मिश्रा-II, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी।	डी0एल0 सी0जे0-3041	माह अक्टूबर, 2018	75	6198.50	6199.00
कुल योग						रू. 12,398.00

(रूपये बारह हजार तीन सौ अठानवे मात्र)

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 के लेखाशीर्षक "2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर- 090-सचिवालय-03-सचिवालय-15-पेट्रोल/अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

8102 379 ! ?  
Registrar (B)

u.r.g.  
22/12/18

DR (RR) Admin  
SO Admin, H/A

DR (M)  
Reg (1/12)  
31/1/19

संजय खरे,  
प्रमुख सचिव।

.....2-

Ms. Pranti  
20.02.19

for  
2/21/2019  
202

22.02.19  
5.0  
Sondra

15/02/19  
8.0  
Hank. Row.

This record is only for  
information. May file

RRCB

Reg. No. 566  
File No. IV-2988  
Serial No. 126

Mans  
5-12-18

Revised 139  
(5)

10-12-18  
7-12-18  
उत्तर प्रदेश शासन  
विधायी अनुभाग-1

संख्या-2111/79-वि-1-18-1(अधि)वि0/17

लखनऊ:दिनांक: 11 अक्टूबर, 2018

कार्यालय - ज्ञाप

श्री अरविन्द कुमार मिश्रा-II, विशेष सचिव, विधायी विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्टी आयोग) की संस्तुतियों के आधार पर निर्गत नियुक्ति अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-6058/दो-4-05-45(12)/91टीसी, दिनांक 27 जनवरी, 2006 में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र एवं विवरण के आधार पर निजी वाहन मारुति जेन संख्या-डी0एल0 सीजे-3041 हेतु माह सितम्बर, 2018 में भराये गये 50 लीटर पेट्रोल रू0 80.63 प्रति लीटर की दर से रू0 4031.50 तथा 25 लीटर पेट्रोल रू0 81.03 प्रति लीटर की दर से रू0 2025.75/- अर्थात् कुल 75 लीटर पेट्रोल पर व्यय की गयी धनराशि रू0 6057.25/- अर्थात् पूर्णांकित धनराशि रू0 6057/- (रुपये छः हजार सत्तावन मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 के लेखाशीर्षक "2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय-15-पेट्रोल/अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

28 NOV 2018

वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,  
प्रमुख सचिव।

संख्या-2111(1)/79-वि-1-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ (न्याय अनुभाग-8 लेखा प्रकोष्ठ) के माध्यम से।
- 3- अनुभाग अधिकारी, न्याय अनुभाग-8 (लेखा) को एक अतिरिक्त प्रति एवं सम्बंधित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र एवं पेट्रोल पर व्यय की गयी धनराशि के विवरण सहित इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त धनराशि का भुगतान सम्बंधित अधिकारी को करना सुनिश्चित करें।
- 4- रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- सम्बंधित अधिकारी।
- 6- सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7- गार्ड पत्रावली।

Reg(C)(B)

DR(RR) Admin  
SO Admin, HIA

आज्ञा से,

(गिरिजा मति द्विवेदी)

अनु सचिव।

JK

1/2RG  
28/11/18

DR(M)

Reg (C)(B)  
29/11/18

Receipt 139

Reg No 453 -  
File No IV-2988  
Serial No 125

उत्तर प्रदेश शासन  
विधायी अनुभाग-1

संख्या-1964/79-वि-1-18-1(अधि)वि0/17  
लखनऊ:दिनांक: 18 सितम्बर, 2018

कार्यालय - ज्ञाप

3-11-18  
12-11-18  
Bino  
18-2-19

श्री अरविन्द कुमार मिश्रा-II, विशेष सचिव, विधायी विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्टी आयोग) की संस्तुतियों के आधार पर निर्गत नियुक्ति अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-6058/दो-4-05-45(12)/91टीसी, दिनांक 27 जनवरी, 2006 में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र एवं विवरण के आधार पर निजी वाहन मारुति जेन संख्या-डी0एल0 सीजे-3041 हेतु माह अगस्त, 2018 में भराये गये 50 लीटर पेट्रोल रू0 78.28 प्रति लीटर की दर से रू0 3914/- तथा 25 लीटर पेट्रोल रू0 78.75 प्रति लीटर की दर से रू0 1968.75/- अर्थात् कुल 75 लीटर पेट्रोल पर व्यय की गयी धनराशि रू0 5882.75/- अर्थात् पूर्णांकित धनराशि रू0 5883/- (रूपये पाँच हजार आठ सौ तिरासी मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 के लेखाशीर्षक "2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय-15-पेट्रोल/अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,  
प्रमुख सचिव।

संख्या-1964(1)/79-वि-1-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ (न्याय अनुभाग-8 लेखा प्रकोष्ठ) के माध्यम से।
- 3- अनुभाग अधिकारी, न्याय अनुभाग-8 (लेखा) को एक अतिरिक्त प्रति एवं सम्बंधित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र एवं पेट्रोल पर व्यय की गयी धनराशि के विवरण सहित इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त धनराशि का भुगतान सम्बंधित अधिकारी को करना सुनिश्चित करें।
- 4- रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- सम्बंधित अधिकारी।
- 6- सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7- मॉर्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(गिरिजा-पति द्विवेदी)  
अनु सचिव।

DR(M)

Regn(MB)  
26/10/18

D.R.(R.R.) Admin  
S.O. Admin H/A  
Rd  
20/10/2018  
DR

Request 139

Reg No

File

427

IV-2988

उत्तर प्रदेश शासन Serial No

विधायी अनुभाग-1

संख्या-1719/79-वि-1-18-1(अधि)वि0/17

लखनऊ:दिनांक: 05 सितम्बर, 2018

कार्यालय - झाप

11-10-18

9-10-18

Bihar

18-2-19

श्री अरविन्द कुमार मिश्रा-II, विशेष सचिव, विधायी विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्टी आयोग) की संस्तुतियों के आधार पर निर्गत नियुक्ति अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-6058/दो-4-05-45(12)/91टीसी, दिनांक 27 जनवरी, 2006 में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र एवं विवरण के आधार पर निजी वाहन मारुति जेन संख्या-डी0एल0 सीजे-3041 हेतु माह जुलाई, 2018 में रू0 77.40 प्रति लीटर की दर से 50 लीटर तथा रू0 76.96 प्रति लीटर की दर से 25 लीटर अर्थात कुल भराये गये 75 लीटर पेट्रोल पर व्यय की गयी धनराशि रू0 5794/- (रूपये पाँच हजार सात सौ चौरानवे मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 के लेखाशीर्षक "2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय-15-पेट्रोल/अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,  
प्रमुख सचिव।

संख्या-1719(1)/79-वि-1-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ (न्याय अनुभाग-8 लेखा प्रकोष्ठ) के माध्यम से।
- 3- अनुभाग अधिकारी, न्याय अनुभाग-8 (लेखा) को एक अतिरिक्त प्रति एवं सम्बंधित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र एवं पेट्रोल पर व्यय की गयी धनराशि के विवरण सहित इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त धनराशि का भुगतान सम्बंधित अधिकारी को करना सुनिश्चित करें।
- 4- रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- सम्बंधित अधिकारी।
- 6-सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7-गार्ड पत्रावली।

D.R.(R.R.) Admin  
S.O. Admin, H/A

R/R  
5/10/2018  
DR

आज्ञा से,

(गिरिजा पति द्विवेदी)

अनु सचिव।

R

Registrar Budget

Forward Personal

5/10/2018

DR (M)

Request  
5/10/2018

603

2

For A/c  
work

371



(5)

Request 139

Reg No

File

Serial

360

TU-2988

123

27.8.18

A  
27.8.18

Man  
27.8.18

उत्तर प्रदेश शासन  
विधायी अनुभाग-1

संख्या-1417/79-वि-1-18-1(अधि0)वि0/17  
लखनऊ:दिनांक: 24 जुलाई, 2018

कार्यालय - ज्ञाप

Binsu  
18.2.19

श्री अरविन्द कुमार मिश्रा-II, विशेष सचिव, विधायी विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) की संस्तुतियों के आधार पर निर्गत नियुक्ति अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-6058/दो-4-05-45(12)/91टीसी, दिनांक 27 जनवरी, 2006 में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र एवं विवरण के आधार पर निजी वाहन मारुति जेन संख्या-डी0एल0 सीजे-3041 हेतु माह जुलाई, 2018 में रू0 77.80 प्रति लीटर की दर से 50 लीटर तथा रू0 78.26 प्रति लीटर की दर से 25 लीटर अर्थात् कुल भराये गये 75 लीटर पेट्रोल पर व्यय की गयी धनराशि रू0 5846.50 अर्थात् पूर्णांकित धनराशि रू0 5847/- (रूपये पाँच हजार आठ सौ सैतालीस मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 के लेखाशीर्षक "2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय-15-पेट्रोल/अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,  
प्रमुख सचिव।

संख्या-1417(1)/79-वि-1-2018, तददिनांक।

13 AUG 2018 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ (न्याय अनुभाग-8 लेखा प्रकोष्ठ) के माध्यम से।
- 3- अनुभाग अधिकारी, न्याय अनुभाग-8 (लेखा) को एक अतिरिक्त प्रति एवं सम्बंधित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र एवं पेट्रोल पर व्यय की गयी धनराशि के विवरण सहित इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त धनराशि का भुगतान सम्बंधित अधिकारी को करना सुनिश्चित करें।
- 4- रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- सम्बंधित अधिकारी।
- 6-सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7-गार्ड पत्रावली।

DR (M)

Reg (M)  
18/8/18

DR (M) Adm  
S.O Adm H/A

21/8/2018  
DA

आज्ञा से

(गिरिजा पति द्विवेदी)  
अनु सचिव।